रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032021-226050
CG-DL-E-23032021-226050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943
No. 111] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 23 मार्च, 2021

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/12.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे ।

3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,-

   I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,-

      i. खंड (जक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(जख) "वित्तीय वर्ष" से प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाली बारह महीनों की अवधि अभिप्रेत है;"

ii. खंड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(णक) "तिमाही" से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर और जनवरी के पहले दिन से शुरू होने वाली तीन महीनों की अवधि अभिप्रेत है;"

iii. खंड (दक), (दख) तथा (दग) क्रमश: खंड (दख), (दग) तथा (दघ) के रूप में पुन:संख्यांकित हो जाएँगे और इस प्रकार पुन:संख्यांकित खंडों से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(दक) "विनियामक फीस" से अधिनियम तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के तहत कार्य आदि करने के लिए इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत बोर्ड द्वारा ली जाने वाली फीस अभिप्रेत है;"

II. विनियम 11 में,

i. उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"*(1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से विनियामक फीस ली जाएगी, जो बोर्ड को उन दरों पर तथा उतने समय के भीतर देय होगी जैसा उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) में उल्लेख किया गया है ।*"

ii. उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्,-

"*(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को, अपने वार्षिक व्यापारावर्त (टर्नओवर) के आधार पर, इन विनियमों की अनुसूची-III के भाग-क के तहत निर्धारित की गई रकम, संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अदा करेगा:*

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों "वार्षिक व्यापारावर्त" से उन लेनदेनों (ट्रांजैक्शन) का कुल मूल्य [कृषि कमोडिटी व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज़) के व्यापारावर्त (टर्नओवर) को छोड़कर] अभिप्रेत होगा, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में हुए:

परंतु यह कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कृषि कमोडिटी व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज़) में होने वाले लेनदेनों (ट्रांजैक्शन) के कुल मूल्य पर एक लाख रुपये की सपाट विनियामक (रेग्यूलेटरी) फीस अदा करेंगे ।

(3) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, उस तिमाही के दौरान निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) [जिनकी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों] से उसके द्वारा ली गई कुल सूचीबद्धता (लिस्टिंग) फीस के दस प्रतिशत के बराबर की रकम भी अदा करेगा:

परंतु यह कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही की बाबत उप-विनियम (3) के तहत देय फीस, उस तिमाही के समाप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उप-विनियम (2) के तहत देय फीस के साथ, अदा की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों "सूचीबद्धता फीस" से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ऐसी किसी कंपनी या अन्य एंटिटी से ली गई समस्त फीस अभिप्रेत होगी, जिसकी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) और जो फीस ऐसी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सूचीबद्धता के लिए ली गई हो ।

(4) उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) में उल्लिखित फीस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से अदा की जाएगी, और फीस की रकम जमा कराए जाने की सूचना या मांग ड्राफ्ट (जो भी लागू हो) फीस की गणना के विवरण के साथ भिजवा दिया जाएगा ।

(5) उप-विनियम (4) में उल्लिखित फीस की गणना के विवरण के सही होने को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

(6) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अपने वार्षिक व्यापारावर्त (टर्नओवर), स्वयं द्वारा ली गई सूचीबद्धता (लिस्टिंग) फीस तथा इन विनियमों के तहत अदा की गई फीस या देय फीस के संबंध में ऐसे रजिस्टर बनाए रखेगा और बोर्ड को ऐसी विवरणियाँ या जानकारी प्रस्तुत करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।

(7) उप-विनियम (6) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण देने का भी दायी होगा, जो इस विनियम के तहत उसके विनियमित कार्यों के संबंध में और अदा की गई या देय फीस के संबंध में बोर्ड देने को कहे।

(8) जहाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की चूक के कारण, कोई फीस जो उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) के तहत अदा की जानी थी किंतु या तो अदा नहीं की गई या देरी से अदा की गई या कम अदा की गई, वहाँ वह बोर्ड को, अधिनियम, नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जितने महीनों की देरी हुई उस हर महीने के लिए या यदि महीना पूरा न हुआ हो तो जितने दिनों की देरी हुई उसके लिए, अदा न की गई रकम या देरी से अदा की गई रकम या अदा की गई कम रकम पर पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करेगा। "

iii. मौजूदा उप-विनियम (2), उप-विनियम (9) के रूप में पुन:संख्यांकित हो जाएगा।

III. विनियम 52 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"निरसन और व्यावृत्तियाँ

52. *(1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 और निम्नलिखित परिपत्र निरसित हो जाएँगे -*

(क) तारीख 13 दिसम्बर, 2012 का परिपत्र (सं. सीआईआर/एमआरडी/डीएसए/33/2012) - स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों की मान्यता, के स्वामित्व तथा संचालन (गवर्नेंस) के संबंध में प्रक्रिया संबंधी मानदंडों से संबंधित;

(ख) तारीख 22 जनवरी, 2016 का परिपत्र (सं. सेबी/एचओ/एमआरडी/डीएसए/सीआईआर/पी/2016/30) - प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 के विनियम 2(1)(ख) में संशोधन के अनुसरण में सेबी के तारीख 13 दिसम्बर, 2012 के परिपत्र (सं. सीआईआर/एमआरडी/डीएसए/33/2012) में संशोधन से संबंधित ।

(2) ऐसा निरसन हो जाने पर भी, इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व निरसित विनियमों तथा परिपत्रों (सर्कुलर्स) [जिनका उल्लेख उप-विनियम (1) में किया गया है] के तहत की गई किसी बात अथवा की गई किसी कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी कार्रवाई के बारे

में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी प्रावधानों के तहत की गई है या शुरू की गई है या आशयित है।

(3) उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों और परिपत्रों के निरसन के पश्चात्, बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी विनियम, दिशानिर्देश (मार्गदर्शक सिद्धांत / गाइडलाइन), परिपत्र (सर्कुलर) या निदेश में उनके किसी संदर्भ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के संबंधित प्रावधानों के प्रति एक संदर्भ है।

(4) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ से ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006 निरसित हो जाएँगे ।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006 के निरसित हो जाने की तारीख से ही, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ से पूर्व उपरोक्त विनियमों तथा परिपत्रों (सर्कुलर्स) के तहत की गई किसी बात अथवा की गई किसी कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी कार्रवाई के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी प्रावधानों के तहत की गई है या शुरू की गई है या आशयित है ।"

IV. अनुसूची-II के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

"अनुसूची-III

भाग-क

[विनियम 11(1) देखें]

विनियामक फीस की दर:

क्रम सं. **(1)**	**वार्षिक व्यापारावर्त (टर्नओवर) [करोड़ रुपये में]** **(2)**	**फीस की रकम (रु.)** **(3)**
1	10,000 से कम या के बराबर	1,00,000/-
2	10,000 से अधिक किंतु 1,00,000 से कम या के बराबर	10,00,000/-
3	1,00,000 से अधिक किंतु 5,00,000 से कम या के बराबर	50,00,000/-
4	5,00,000 से अधिक किंतु 10,00,000 से कम या के बराबर	1,00,00,000/-
5	10,00,000 से अधिक	1,00,00,000 और 10,00,000 करोड़ से अधिक के वार्षिक व्यापारावर्त का 0.000012 प्रतिशत"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./547/2020-21]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् -

   (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा

   (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

   (ग) 8 अक्तूबर 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन2020/32, द्वारा

   संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd March, 2021

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely:—

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, -

   I. In regulation 2, sub-regulation (1), -

      i. After clause (ha), the following clause shall be inserted, namely,-

      "(hb) "financial year" means the period of twelve months commencing on the first day of April every year;"

      ii. After clause (o), the following clause shall be inserted, namely,-

      "(oa) "quarter" means the period of three months commencing on the first day of April, July, October and January of each financial year;"

      iii. Clause (ra), (rb) and (rc) shall respectively be renumbered as clause (rb), (rc) and (rd) and before the clauses so renumbered, the following clause shall be inserted, namely,-

      "(ra) "regulatory fee" means fees levied by the Board under these regulations for carrying out the functions under the Act and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);"

II. In regulation 11,

i. sub-regulation (1), shall be substituted with the following, namely,-

"(1) Every recognised stock exchange shall be charged, a regulatory fee payable to the Board, at such rates and within such time as is mentioned in sub-regulation (2) and sub-regulation (3).

ii. after sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be inserted, namely,-

"(2) A recognised stock exchange shall pay to the Board, based on its annual turnover, an amount specified under Part –A of Schedule -III of these regulations within thirty days of the conclusion of the relevant financial year:

Explanation: For the purposes of this sub-regulation, the expression "annual turnover" shall mean the aggregate value of the transactions, excluding turnover on agricultural commodity derivatives, which took place on the recognised stock exchange during the relevant financial year:

Provided that the recognized stock exchanges shall pay a flat regulatory fee of one lakh rupees on aggregate value of the transactions on agricultural commodity derivatives.

(3) A recognised stock exchange shall also pay to the Board, within fifteen days form the end of each quarter of a financial year, an amount equal to ten per cent of the aggregate of listing fees collected from the issuers whose securities are listed on it, during that quarter:

Provided that the fees due under sub-regulation (3) in respect of the last quarter of a financial year may be paid within thirty days of conclusion of the quarter, together with the fees due under sub-regulation (2).

Explanation: For the purposes of this sub-regulation, the expression "listing fees" shall mean all fees collected by a recognised stock exchange from any company or other entity whose securities are listed thereon, towards listing of such securities."

(4) The fee mentioned in sub-regulation (2) and sub-regulation (3) shall be paid by a recognised stock exchange by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or by means of a demand draft drawn in favour of "Securities and Exchange Board of India", payable at Mumbai and the intimation of remittance or the demand draft, as applicable, shall be forwarded along with the statement of computation of the fee.

(5) The statement of computation of fees mentioned in sub-regulation (4) shall be certified to be correct by a chartered accountant.

(6) Every recognised stock exchange shall maintain such registers and furnish such returns or information to the Board in respect of its annual turnover, the listing fees collected by it and the fee paid or payable under these regulations, as may be specified by the Board.

(7) Without prejudice to sub-regulation (6), a recognised stock exchange shall also be liable to furnish such information or explanations to the Board as may be required in respect of the regulated functions and the fee paid or payable under this regulation.

(8) Where due to the default of the recognised stock exchange, any fee which was liable to be paid under sub-regulation (2) and sub-regulation (3) remains unpaid or is paid belatedly or is short-paid, it shall, without prejudice to any other action that may be taken under the Act, rules or regulations, pay an interest of fifteen per cent per annum on the amount remaining unpaid or belatedly paid or short-paid, for every month of delay or part thereof to the Board.

iii. existing sub-regulation (2) shall be re-numbered as sub-regulation (9).

III. In regulation 52,

i. in sub-regulation (2), after the words *"and circulars"* and before the words "before the", the words "referred to in sub-regulation (1)" shall be inserted.

ii. after sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be inserted, namely,-

"(4) On and from the commencement of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021, the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006, shall stand repealed.

(5) On and from the date of repeal of Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006, anything done or any action taken or purported to have been taken or contemplated under the said regulations and circulars before the commencement of Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 shall be deemed to have been done or taken or commenced or contemplated under the corresponding provisions of these regulations."

IV. After Schedule –II, the following Schedule shall be inserted, namely,-

"SCHEDULE – III

PART – A

[See regulation 11(1)]

Rate of Regulatory Fee:

Sr. No. ***(1)***	***Annual Turnover (Rupees in crores)*** ***(2)***	***Amount of fee (Rs.)*** ***(3)***
1	*Less than or equal to 10,000*	*1,00,000/-*
2	*More than 10,000 but less than or equal to 1,00,000*	*10,00,000/-*
3	*More than 1,00,000 but less than or equal to 5,00,000*	*50,00,000/-*
4	*More than 5,00,000 but less than or equal to 10,00,000*	*1,00,00,000/-*
5	*More than 10,00,000*	*1,00,00,000 plus 0.000012 per cent of the annual turnover in excess of 10,00,000 crores."*

AJAY TYAGI, Chairman

[Advt. III/4/Ext./547/2020-21]

Footnote:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.

2. The Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended –

(a) 4th June, 2019, the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.

(b) 17th April, 2020, the SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(c) 8th October, 2020, the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.23 22:41:23 +05'30'